

FATF ने पाकस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल** (Financial Action Task Force- FATF) ने फैसला लिया है कि वह पाकस्तान को आगामी जून सत्र तक **'ग्रे सूची'** (Grey List) में बनाए रखेगा।

प्रमुख बटु

पृष्ठभूमि:

- अक्टूबर 2020 सत्र के दौरान FATF द्वारा पाकस्तान के लिये निर्धारित 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को पूर्ण करने की समय-सीमा को कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2021 तक वस्तुतः कर दिया गया था।
 - तब इसने 27 निर्देशों में से 6 का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया था।
- FATF ने जून 2018 में पाकस्तान को 'ग्रे सूची' में रखने के बाद 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना जारी की थी। यह कार्रवाई योजना धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है।

पाकस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखने के वषिय में:

- FATF आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकस्तान की उल्लेखनीय प्रगति को स्वीकार करता है, हालाँकि पाकस्तान ने अभी भी इन 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना में से तीन को पूरा नहीं किया है।
- ये तीन बटु आतंकी फंडिंग के बुनियादी ढाँचे और शामिल संस्थाओं के खिलाफ वित्तीय प्रतबंध तथा दंड के संदर्भ में प्रभावी कदम से संबंधित हैं।
- FATF जून 2021 सत्र के दौरान पाकस्तान द्वारा किये गए उपायों और सुधारों की स्थिति का परीक्षण करेगा। इसके बाद FATF द्वारा पाकस्तान को ग्रे सूची में रखने या निकालने की समीक्षा की जाएगी।

महत्त्व:

- FATF ने पाकस्तान के वरिद्ध आतंकी गतिविधियों के लिये धन जुटाने में शामिल कई प्रतबंधित संगठनों जैसे- जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद आदि पर कार्रवाई में नष्क्रियता के मामले में संज्ञान लिया है।
- भारत ने कई मौकों पर **26/11 के मुंबई** और **पुलवामा हमलों** सहित कई आतंकी मामलों में पाकस्तान में पल रहे आतंकवादियों की संलपितता को उजागर किया है।
- पाकस्तान का FATF की ग्रे सूची में बना रहना उसके समक्ष यह दबाव बनाएगा कि वह भारत में इस तरह के आतंकवादी हमलों को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करे।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के वषिय में:

- FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
- FATF मनी लाँड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में वधायी और नयामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तित मामलों को नहीं देखता है।

उद्देश्य:

- FATF का उद्देश्य मनी लाँड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से नपिटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, वनियामक और परचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

मुख्यालय:

- इसका सचवालय पेरिस स्थिति [आर्थिक सहयोग विकास संगठन](#) (OECD) के मुख्यालय में स्थिति है।

सदस्य देश:

- वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन ([यूरोपीय आयोग](#) और [खाड़ी सहयोग परिषद](#)) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

- **ग्रे लसिट:**
 - किसी भी देश का FATF की 'ग्रे' लसिट में शामिल होने का अर्थ है कविह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने में वफिल रहा है।
- **ब्लैक लसिट:**
 - किसी भी देश का FATF की 'ब्लैक लसिट' (Black List) में शामिल होने का अर्थ है कउस देश को अंतर्राष्ट्रीय वत्ततीय संस्थाओं द्वारा वत्ततीय सहायता मलिनी बंद हो जाएगी।

सत्र: अध्यक्ष **FATF प्लैनरी** (FATF Plenary) की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। FATF प्लैनरी ही FATF की नरिणय नरिमाण संस्था है जसिकी हर वर्ष तीन बार बैठक होती है।

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fatf-retains-pakistan-in-grey-list>

